भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *273
दिनांक 13 दिसम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल

***273. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:**
डॉ. सी.एम. रमेश:

क्या **महिला और बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2019 से 2024 तक देश में कामकाजी महिला होस्टल (डब्ल्यूडब्ल्यूएच) योजना के तहत आवंटित, जारी और उपयोग की गई धनराशि का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त योजना के तहत सरकार के द्वारा निर्मित कामकाजी महिला होस्टलों का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग) कार्यशील कामकाजी महिला होस्टलों और उनमें उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(**क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।**

*****

‘कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास’ के संबंध में श्री लावू श्री कृष्णा देवरायालु और डॉ. सी एम रमेश द्वारा दिनांक 13.12.2024 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *273 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(**क) से (ग):** सरकार कामकाजी महिलाओं और कार्यबल में शामिल होने की इच्छुक महिलाओं के लिए सुरक्षित, संरक्षित और किफायती छात्रावास सुविधा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। कामकाजी महिलाओं के छात्रावास श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी में सुधार के लिए महत्वपूर्ण घटक हैं, जो ‘महिलाओं के नेतृत्व में विकास’ की अवधारणा को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

व्यापक मिशन शक्ति के अंतर्गत सखी निवास योजना [कामकाजी महिला छात्रावास (डब्ल्यूडब्ल्यूएच)] एक मांग आधारित केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अपनी आवश्यकता का आकलन करते हैं और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ चर्चा के बाद कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा प्रस्तावों को मंजूरी दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य कामकाजी महिलाओं और उच्च शिक्षा/प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं के लिए शहरी, अर्ध-शहरी और यहां तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर मौजूद हैं, सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान पर आवास की उपलब्धता को बढ़ावा देना तथा बच्चों के लिए डे-केयर सुविधा भी उपलब्ध कराना है। इस योजना में, किराये के लिए निधि प्रदान की जाती है। निर्माण घटक को बंद कर दिया गया है।

दिनांक 01.04.2022 से मिशन शक्ति की शुरुआत से पहले, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नए भवनों के निर्माण/मौजूदा भवनों के विस्तार और कुछ भवनों के किराए के लिए सहायता अनुदान जारी की गई थी ताकि कामकाजी महिलाओं को छात्रावास की सुविधा प्रदान की जा सके।

वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान सखी निवास के लिए इस योजना के अंतर्गत जारी निधियों का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है। निर्माण के लिए स्वीकृत महिला गृहों और जिनका निर्माण पिछले तीन वर्षों की अवधि के दौरान पूरा हो गया है, उनका राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त कार्यशील सखी निवासों का ब्यौरा **अनुलग्नक-III** पर दिया गया है।

*****

अनुलग्नक-I

'कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास' के संबंध में श्री लावू श्री कृष्णा देवरायालु और डॉ. सी एम रमेश द्वारा दिनांक 13.12.2024 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *273 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान सखी निवास (कामकाजी महिला छात्रावास) योजना के अंतर्गत जारी निधि का विवरण:

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
		जारी निधि	जारी निधि	जारी निधि	जारी निधि	जारी निधि
1	आंध्र प्रदेश	146.49	0.00	0.00	0.00	21.52
2	असम	0.00	7.76	0.00	0.00	61.47
3	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	5.46	0.00	26.68
4	गुजरात	0.00	0.00	69.70	0.00	46.46
5	हिमाचल प्रदेश	111.86	0.00	0.00	0.00	9.29
6	जम्मू एवं कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
7	कर्नाटक	482.5	0.00	0.00	0.00	0.00
8	केरल	901.5	0.00	273.97	384.00	48.00
9	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	191.19	0.00	0.00
10	महाराष्ट्र	0.00	36.38	0.00	0.00	0.00
11	मिजोरम	136.50	0.00	40.88	0.00	0.00
12	मणिपुर	169.49	990.61	164.70	784.85	58.87
13	नगालैंड	244.24	223.67	96.09	0.00	175.15
14	पंजाब	136.50	0.00	0.00	0.00	0.00
15	तमिलनाडु	0.00	392.18	350.25	593.94	0.00
16	तेलंगाना	746.10	0.00	0.00	0.00	0.00
17	दिल्ली *	179.58	300.18	11.52	0.00	0.00
	कुल	**3254.76**	**1950.78**	**1203.76**	**1762.79**	**452.24**

* राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) को कर अदा करने और जसोला छात्रावास मरम्मत कार्य के लिए निधि जारी की गई।

अनुलग्नक- II

'कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास' के संबंध में श्री लावू श्री कृष्णा देवरायालु और डॉ. सी एम रमेश द्वारा दिनांक 13.12.2024 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *273 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्माण के लिए स्वीकृत और निर्मित किए गए सखी निवास (कामकाजी महिला छात्रावास) का विवरण:

क.सं.	राज्यों के नाम	2021-22		2022-23		2023-24	
		स्वीकृत	निर्मित*	स्वीकृत	निर्मित*	स्वीकृत	निर्मित*
1	आंध्र प्रदेश	--	--	--	--	--	01
2	छत्तीसगढ़	--	01	--	--	--	--
3	गुजरात	--	01				
4	केरल	--	01	--	--	--	01
5	मणिपुर	--		--	01	--	01
6	मिजोरम	--	01	--	--	--	--
7	नागालैंड	--	01	--	--	--	01
8	पंजाब	--	--	--	--	--	--
9	तमिलनाडु	01	--	--	--	--	--
	कुल	**01**	**05**	**--**	**01**	**--**	**04**

* पहले स्वीकृत किए गए डब्ल्यूडब्ल्यूएच का निर्माण पूरा हो गया।

अनुलग्नक- III

'कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास' के संबंध में श्री लावू श्री कृष्णा देवरायालु और डॉ. सी एम रमेश द्वारा दिनांक 13.12.2024 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *273 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

कार्यशील सखी निवास (डब्ल्यूडब्ल्यूएच) का विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कार्यशील सखी निवास (डब्ल्यूडब्ल्यूएच) की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	23
2.	अरुणाचल प्रदेश	05
3.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	00
4.	असम	10
5.	बिहार	00
6.	चंडीगढ़	06
7.	छत्तीसगढ़	06
8.	दमन और दीव एवं दादरा नगर हवेली	00
9.	दिल्ली	15
10.	गोवा	00
11.	गुजरात	14
12.	हरियाणा	07
13.	हिमाचल प्रदेश	06
14.	जम्मू और कश्मीर	01
15.	झारखंड	02
16.	कर्नाटक	62
17.	केरल	138
18.	लद्दाख	00
19.	लक्षद्वीप	00
20.	मध्य प्रदेश	02
21.	महाराष्ट्र	74
22.	मणिपुर	18

23.	मेघालय	04
24.	मिजोरम	03
25.	नागालैंड	11
26.	ओडिशा	11
27.	पुद्दुचेरी	04
28.	पंजाब	00
29.	राजस्थान	15
30.	सिक्किम	01
31.	तमिलनाडु	60
32.	तेलंगाना	17
33.	त्रिपुरा	00
34.	उत्तराखंड	00
35.	उत्तर प्रदेश	08
36.	पश्चिम बंगाल	00
कुल*		**523**

* राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार।